



रजिस्ट्रार नं. /.....

विभाग अ. 15/2/99/96

संलग्नक - 2

फाइल संख्या.....

(94)

सदस्य संख्या 2438

तारीख 07/2/99

संख्या-2320/57-म-99-10-51551/96

विषयक,

ललित श्रीवास्तव,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
समस्त अध्यक्ष,  
जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 1999

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण के संगठनात्मक ढाँचे में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

838  
127194

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-1774/57-म-99-10-51551/96, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1774/21/57-म-99-10-51551/96, एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-1774/41/57-मत्स्य-99-10-51551/96, दिनांक-15 मई, 1999 को अवकृमि करते हुए मुझे आये यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवर्तित व्यवस्था के अन्तर्गत अध्यक्ष, जिला पंचायत जिलाधिकारी के स्थान पर मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अध्यक्ष होंगे तथा वे अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में शांसी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और अभिकरण के अन्तर्गत संघालित कार्यक्रमों के सकल कार्यान्वयन हेतु पंचायत व्यवस्था एवं अभिकरण को नेतृत्व प्रदान करेंगे। मत्स्य पालक विकास अभिकरण की अध्यक्षता को छोड़कर समस्त प्रशासनिक/वित्तीय अधिकार अधिशासी निदेशक में निहित होंगे, जो अभिकरणों से सम्बन्धित ऐसे समस्त कार्यों को सम्पादित करेंगे, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी निदेशक के रूप में सम्पादित किया जा रहा था। अब मुख्य विकास अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधिशासी निदेशक होंगे। सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य, अभिकरण के उपाध्यक्ष तकनीकी होंगे तथा राहायक निदेशक मत्स्य/ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक जैसी भी स्थिति हो अभिकरण के सदस्य सचिव होंगे।

उप निदेशक  
मत्स्य

जिलाधिकारी  
17/19

MC

Anil  
9.7.99  
ADP/18

2- उपर्युक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु समस्त अभिकरण अपने आर्थिक आफ एकोसिपेशन और मेमोरेण्डम आरू एकोसिपेशन में यथा, आवश्यक संशोधन करेंगे।

भवदीय,

ललित श्रीवास्तव  
सचिव।

क्रमशः--- 21

